



2026:AHC:66904-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

वाणिज्यिक अपील संख्या- 4 वर्ष 2026

मैसर्स श्याम ट्रेडर्स अपीलकर्ता

बनाम

कृतज्ञ स्टोन प्राइवेट लिमिटेड प्रतिपक्षी

अपीलकर्ता के अधिवक्ता: प्रथमेश उपाध्याय

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता:

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश

माननीय न्यायमूर्ति श्री क्षितिज शैलेन्द्र

1. वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2005 ('अधिनियम') की धारा 13(1A) के तहत यह अपील वाणिज्यिक न्यायालय संख्या-1, गौतम बुद्ध नगर द्वारा पारित दिनांक 12.12.2025 के आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत अपीलकर्ता द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत दायर आवेदन को खारिज कर दिया गया है, जिसमें आदेश IX नियम 13 सी.पी.सी. के तहत आवेदन दायर करने में देरी की माफी की मांग की गई है।
2. प्रतिपक्षी द्वारा सिविल मूल वाद संख्या-153 वर्ष 2022 दायर किया गया था जिसमें अपीलकर्ता, सेवा दिए जाने पर, अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित हुआ, जिसमें प्रतिपक्षी या उसके अधिवक्ता की गैर-उपस्थिति के कारण, वाद को एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश दिया गया था और 20.10.2023 को डिक्री दी गई थी।
3. आदेश IX नियम 13 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत आवेदन 11.07.2025 को दायर किया गया था, जिसमें देरी की माफी मांगने वाली एक याचिका के साथ कहा गया था कि अधिवक्ता को नियुक्त करने के बाद, जब भी अधिवक्ता से संपर्क किया जाएगा, उन्हें

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बताया गया कि जब भी आवश्यकता होगी, उन्हें सूचित किया जाएगा। जब 02.07.2025 को वसूली नोटिस प्राप्त हुआ और 03.07.2025 को बिजली दाखिल की गई, तभी आवेदक को 20.10.2023 को मुकदमे की डिक्री के बारे में पता चला, जब 07.07.2025 को फैसले की प्रति प्राप्त करने के लिए एक अन्य अधिवक्ता नियुक्त किया गया और उसके बाद, बिना किसी देरी के, आवेदन दायर किया गया है।

4. अदालत के समक्ष पेश नहीं होने के लिए अधिवक्ता के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। देरी की माफी मांगने वाले आवेदन में भी इसी तरह के कथन किए गए थे।

5. प्रतिपक्षी ने इस निवेदन के साथ आवेदन का विरोध किया कि 20.10.2023 को वाद की डिक्री के बाद, 22.11.2023 को निर्णय देनदार को एक मांग नोटिस भेजा गया था, जिसका जवाब नहीं दिया गया था, जिसके बाद निष्पादन कार्यवाही संख्या-1 वर्ष 2024 शुरू की गई थी, जिसमें निर्णय देनदार को नोटिस जारी किया गया था, जिसे विधिवत तामील भी किया गया था, हालांकि, कोई उपस्थिति नहीं दी गई थी। आदेश XXI नियम 29 सी.पी.सी. के तहत आवेदन को अस्वीकार करते हुए वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 07.08.2025 के आदेश के खिलाफ, रिट याचिका संख्या-9316 वर्ष 2025 दायर की गई, जो लंबित रही।

6. वाणिज्यिक न्यायालय, पक्षों को सुनने के बाद, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि 03.02.2023 को वाद को एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश दिए जाने के बाद और अगली तिथि 07.04.2023 निर्धारित करने के बाद, 07.04.2023 को, दिनांक 03.02.2023 के आदेश को वापस लेने के लिए आवेदन दायर किया गया, जब रिकॉल आवेदन के निपटान के लिए 03.07.2023 तय किया गया। जब 03.02.2023 को कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, तो आवेदन खारिज कर दिया गया और मामले को फिर से एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश दिया गया और अंततः, 20.10.2023 को एकपक्षीय डिक्री पारित की गई। वाणिज्यिक न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि डिक्री पारित करने के बाद, डिक्री धारक द्वारा भेजा गया मांग नोटिस दिया गया था और पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए निष्पादन कार्यवाही में नोटिस भी दिया गया था, आवेदक मुकदमे/डिक्री के लंबित होने से अच्छी तरह वाकिफ था और देरी की माफी मांगने के



लिए उठाई गई याचिका में कोई सार नहीं है और परिणामस्वरूप, आवेदन को खारिज कर दिया गया।

7. अपीलकर्ता के अधिवक्ता ने जोरदार दलीलें दीं कि अपीलकर्ता ने एक अधिवक्ता को नियुक्त किया था, जिसने उपस्थित नहीं होने का फैसला किया, जिसके कारण एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित हुआ। यहां तक कि दायर किए गए रिकॉल आवेदन में भी, अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए, जिसके परिणामस्वरूप एकपक्षीय डिक्री पारित हुई और यह केवल तब हुआ जब कुर्की की कार्यवाही शुरू की गई थी कि अपीलकर्ता को इस तथ्य के बारे में पता चला कि एकपक्षीय डिक्री पारित की गई है, जो तथ्य वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, हालांकि, एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने में देरी की माफी मांगने वाले आवेदन को गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था। प्रस्तुतियाँ की गई हैं कि यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अधिवक्ता की गलती के लिए, एक पक्ष को पीड़ित नहीं किया जा सकता है और इसलिए, आक्षेपित आदेश को रद्द करने के योग्य है। **रफीक और अन्य बनाम मुंशीलाल और अन्य ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1400** पर भरोसा किया गया था।

8. हमने किए गए प्रस्तुतियों पर विचार किया है और अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया है।

9. अपीलकर्ता ने एकपक्षीय डिक्री और एकपक्षीय डिक्री को अलग करने की मांग करने वाले आवेदन को दायर करने में देरी के लिए अपीलकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता पर दोष लगाने का विकल्प चुना है। यह देखा जाएगा कि एकपक्षीय डिक्री 20.10.2023 को पारित की गई थी और एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने के लिए आवेदन 11.07.2025 को दायर किया गया है। यह प्रतिपक्षी का विशिष्ट मामला था कि डिक्री पारित होने के बाद, अपीलकर्ता को पंजीकृत डाक द्वारा एक मांग नोटिस भेजा गया था, जिसके बाद निष्पादन कार्यवाही दायर की गई थी, जिसमें पंजीकृत डाक द्वारा भेजा गया नोटिस भी अपीलकर्ता को विधिवत दिया गया था, हालांकि, अपीलकर्ता ने एकपक्षीय डिक्री पारित करने की परवाह नहीं की और 20 महीने से अधिक समय बीतने के बाद एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने की मांग की है, जिसके लिए, अदालती कार्यवाही के लिए लापरवाही और अवमानना को छोड़कर, कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. कार्यवाही को सूचित नहीं करने के लिए अधिवक्ता पर आरोप लगाना बहुत सुविधाजनक है। दो साल से अधिक की अवधि में अपीलकर्ता द्वारा क्या प्रयास किए गए थे, जब अपीलकर्ता द्वारा वकालतनामा दायर किया गया था और एकपक्षीय डिक्री को रद्द करने की मांग करने वाला आवेदन दायर किया गया था, हलफनामे पूरी तरह से चुप हैं।

11. जहां तक रफीक (उपरोक्त) के मामले में निर्णय का संबंध है, उक्त निर्णय सार्वभौमिक अनुप्रयोग के सिद्धांत को निर्धारित नहीं करता है। इसे मामले के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों में लागू किया जाना चाहिए। एक घोर लापरवाह मुवक्किल को अपने अधिवक्ता पर एकपक्षीय डिक्री के मुकदमे में कार्यवाही को सूचित नहीं करने के लिए आरोप लगाने के लिए नहीं सुना जा सकता है।

12. सलिल दत्ता बनाम टीएम और एमसी प्राइवेट लिमिटेड (1993) 2 एस.सी.सी. 185 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, रफीक (उपरोक्त) के मामले में निर्णय को रद्द करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चूंकि मुकदमे में प्रतिपक्षी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, इसलिए कंपनी का प्रभारी व्यक्ति देहाती ग्रामीण नहीं था और निर्दोष अनपढ़ नहीं था और अदालती कार्यवाही से अनजान था और परिणामस्वरूप, निम्नानुसार देखा गया:

"8. अधिवक्ता पक्ष का एजेंट है। उसे दिए गए अधिकार की सीमा के भीतर किए गए उसके कार्य और बयान, प्रिंसिपल यानी उस पक्ष के कार्य और बयान हैं जो उसे संलग्न करता है। यह सच है कि कुछ स्थितियों में, अदालत न्याय के हित में, अधिवक्ता की लापरवाही और/या दुष्कर्म के बावजूद बर्खास्तगी के आदेश या एकपक्षीय डिक्री को रद्द कर सकती है, जहां यह पता चलता है कि मुवक्किल एक निर्दोष वादी था, लेकिन ऐसा कोई पूर्ण नियम नहीं है कि कोई पक्ष किसी भी समय अपने अधिवक्ता को अस्वीकार कर सके और राहत मांग सके। ऐसी किसी भी पूर्ण प्रतिरक्षा को मान्यता नहीं दी जा सकती है। ऐसा पूर्ण नियम सिस्टम के कामकाज को बेहद कठिन बना देगा। रफीक [ए.आई.आर. 1981 एस.सी. 1400] में की गई टिप्पणियों को एक पूर्ण प्रस्ताव के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। जैसा कि हमने यहां ऊपर उल्लेख किया है, यह एक चल रहा मुकदमा था

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जिसे इसकी स्थापना के सात साल बीत जाने के बाद अंतिम सुनवाई के लिए पोस्ट किया गया था। यह शहर से दूर रहने वाले एक ग्रामीण द्वारा दायर दूसरी अपील नहीं थी, जहां अदालत स्थित है। प्रतिपक्षी भी एक देहाती अज्ञानी ग्रामीण नहीं है, बल्कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसका प्रधान कार्यालय कलकत्ता में है और शिक्षित व्यापारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है जो जानते हैं कि उनकी रुचि कहां है। यह स्पष्ट है कि जब अंतिम सुनवाई के लिए मुकदमा उठाने से पहले उनके आवेदनों को खारिज नहीं किया गया तो उन्होंने नाराज महसूस किया और अदालत के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। हो सकता है, यह उनकी देरी की रणनीति का हिस्सा था जैसा कि वादी ने आरोप लगाया था। शायद नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि उन्होंने अदालत के साथ सहयोग न करने का विकल्प चुना। अदालत के प्रति इस तरह का रुख अपनाने के बाद, प्रतिपक्षी को इसकी कृपा पूछने का कोई अधिकार नहीं है। अधिवक्ता पर पूरा दोष डालना और यह बताने की कोशिश करना कि जैसे कि वे कार्यवाही की प्रकृति या महत्व से पूरी तरह अनजान थे, एक सिद्धांत है जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था।

13. हाल ही में, रजनीश कुमार और अन्य बनाम वेद प्रकाश:(2024) एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3380 में रफीक (उपरोक्त) और सलिल दत्ता (उपरोक्त) दोनों का जिक्र करते हुए, निम्नानुसार देखा गया:

"10. ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा दोष उस अधिवक्ता के सिर पर डाल दिया गया है जो विचारण न्यायालय में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हो रहा था। हमने समय के साथ वादियों की ओर से अदालत के समक्ष कार्यवाही में भाग लेने में लापरवाही और लापरवाही का आरोप लगाने की प्रवृत्ति देखी है। यहां तक कि अगर हम एक पल के लिए भी मान लें कि संबंधित अधिवक्ता लापरवाह या लापरवाह था, तो यह अपने आप में, लंबी और अत्यधिक देरी को माफ करने का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि वादी को अपने स्वयं के अधिकारों के प्रति सतर्क रहने का कर्तव्य है और उसके कहने पर शुरू की गई अदालत में लंबित न्यायिक कार्यवाही



के बारे में समान रूप से सतर्क रहने की उम्मीद की जाती है। इसलिए, वादी को अधिवक्ता के सिर पर पूरा दोष फेंकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और इस तरह किसी भी समय उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और राहत की मांग की जानी चाहिए।

14. प्रस्तुत मामले में उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी पृष्ठभूमि को देखते हुए, अपीलकर्ता एक वाणिज्यिक उद्यम चला रहा है, जिसके खिलाफ 46,82,771/- रुपये के बकाया के लिए मुकदमा दायर किया गया था और आवेदन दायर करने में वर्ष 20 महीने की देरी के लिए, मुकदमे की स्थिति का पता लगाने में अपीलकर्ता की ओर से देरी/प्रत्यक्ष कार्य के लिए बिना किसी और स्पष्टीकरण के अधिवक्ता को दोषी ठहराना, वाणिज्यिक न्यायालय द्वारा देरी की माफी मांगने वाले आवेदन को अस्वीकार करना और आदेश IX नियम 13 सी.पी.सी. के तहत आवेदन को परिणामी खारिज करना, दोषपूर्ण नहीं किया जा सकता है।

15. अपील में कोई सार नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाता है।

मार्च 30, 2026

आरके

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)